

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

क्रमांक

/वि.स./स्था./2020

रायपुर, दिनांक

/

/2020

//कार्यालय-आदेश//

आदेशानुसार, राज्य में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, राज्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, रायपुर द्वारा शासन के सभी कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों को कोविड के संक्रमण से बचाव हेतु "उपयुक्त व्यवहार" जैसे- मास्क पहनने के सही तरीके, अन्य व्यक्तियों से मिलते समय दो गज की दूरी का महत्व, साबुन से हाथ धोने के सही तरीके, संक्रमण के लक्षण, संक्रमण की संभावना होने पर 24 घंटे के भीतर जांच कराया जाना तथा त्यौहार एवं अन्य सामाजिक स्थानों पर सुरक्षित व्यवहार संबंधी जानकारी प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगामी विधान सत्र को ध्यान में रखते हुए विधान सभा के अधिकारी/कर्मचारियों हेतु दिनांक 23/10/2020 को अपरान्ह 3.00 से 4.00 बजे के मध्य ऑनलाईन प्रशिक्षण आयोजित है। ऑनलाईन प्रशिक्षण हेतु लिंक meet.google.com/yhh-nytj-uqz है। कृपया समस्त अधिकारी/कर्मचारी उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होना सुनिश्चित करें।

आदेश से,



अपर सचिव,

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पृ.क्रमांक | 0983 /वि.स./स्था./2020
प्रतिलिपि

रायपुर, दिनांक 23/10/2020

01. मा. अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधान सभा के सचिव को मा. अध्यक्ष महोदय के सूचनार्थ।
02. मा. नेता प्रतिपक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के विशेष सहायक को मा.नेता प्रतिपक्ष महोदय के सूचनार्थ।
03. मा.उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा के निज सहायक को मा.उपाध्यक्ष महोदय सूचनार्थ।
04. प्रमुख सचिव छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय के स्टॉफ ऑफिसर को प्रमुख सचिव महोदय के सूचनार्थ।
05. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
06. सर्वर कक्ष।



उप सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा